

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(24)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2014/5406-5788 दिनांक : 28-11-14


समस्त परियोजना प्रबन्धक,  
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,  
जिला परिषद,

विषय :- आईडब्ल्यूएमपी योजनागत प्रवेश बिन्दु गतिविधि में गैर अनुमत कार्यों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एस.एल.एन.ए. की 8वीं बैठक दिनांक 30.10.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधि में निम्न कार्यों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है :-

1. निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य।
2. कार्यालय/सिंहायशी भवन निर्माण कार्य।
3. धार्मिक स्थल यथा मन्दिर, मस्जिद आदि के पुर्नद्धार, निर्माण एवं धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य।
4. किसी भी केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण प्रदान करना।
5. स्वागत द्वार निर्माण।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत खरंजा निर्माण/सीसी रोड निर्माण कार्य विभागीय पत्रांक 386-692 दिनांक 27.04.2012 एवं सोलर लाइट स्थापना कार्य विभागीय पत्रांक 7752-7821 दिनांक 16.07.2014 के अनुसार पूर्ववत् प्रतिबंधित रहेंगे।

  
28/11/14  
(एम.एस.काला)  
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(24)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2014/5406-5788 दिनांक : 28-11-14

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त
5. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, निदेशालय, जयपुर, समस्त।
8. उपनिदेशक, निदेशालय, जयपुर, समस्त।
9. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त/लेखाकार, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
10. सहायक अभियन्ता एवं पीआईए, पंचायत समिति,
11. एसीपी, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावे।

  
अतिरिक्त निदेशक  
(आईडब्ल्यूएमपी)